न्यायालय–माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर।

प्र. क्र. निगरानी / ग्वालियर / भूराजस्व / 2018 14646

145

श्रीमती निर्मला सिंह फौत पत्नी स्व. श्री चन्द्रशेखर सिंह जरिए वारिसान पुत्र दिनेश कुमार सिंह पुत्र स्व. श्री चन्द्रशेखर सिंह निवासी–बलपुरवा तहसील सोहागपुर जिला शहडोल म0प्र0........................प्रार्थी / निगरानीकर्ता

बनाम

श्रीमान कलेक्टर महोदय शहडोल जिला शहडोल म0प्र0।..प्रतिप्रार्थी

श्री विनोद कुमार शर्मा एड. द्वारा आज दि. 19-7-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 9-8-18 नियत। 19-7-18 रीडर ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

आवेदन पत्र वास्ते निगरानी पेश करने की अनुमती दिये जाने वावत।

माननीय न्यायालय,

प्रार्थी / निगरानीकर्ता की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार पेश है।

1. यह कि,उक्त उनमान की स्वमेव निगरानी प्रार्थी दिनेश कुमार सिंह पिता श्री स्व. चन्द्रशेखर सिंह द्वारा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दी है जिसमें उसे सफलता मिलने की पूर्ण आशा है।
2. यह कि, उक्त निगरानी में प्रार्थी की मॉ श्रीमती निर्माला सिंह पति स्व. चन्द्रशेखर की मृत्यू हो चुकी है और चूंकि निगरानीशुदा आराजी वर्तमान में राजस्व खसरे में म0प्र0 शासन दर्ज है इस कारण मृतिका निर्मला सिंह का वारिसाना नामान्तरण की कार्यवाही नहीं हो सकती है जिस कारण बिना वारिसाना नामान्तरण के ही प्रार्थी द्वारा यह स्वमेव निगरानी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दी है।
3. यह कि, प्रार्थी / निगरानीकर्ता ग्राम बलपुरवा पटवारी हल्का बलपुरवा तहसील सोहागपुर जिला शहडोल स्थित भूमि खसरा नंबर 141 / 11 / 1 रकवा 0.028 हेक्टेयर जिसके भूमिस्वमी श्रीमती निर्मला सिंह पति स्व. चन्द्रशेखर सिंह थे, का विधिक पुत्र है और चूँकि श्रीमती निर्मला सिंह की मृत्यु हो चुकी है इस कारण प्रार्थी माननीय न्याया में यह स्वमेव निगरानी प्ररतुत करने हेतु सक्षम है।
4. यह कि, यदि प्रार्थी को आवश्यक पक्षकार नहीं माना गया और उसका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया गया तो प्रार्थी को अपूर्वनीय क्षति होगी एवं उसकी पूर्ति किसी भी प्रकार कर पाना संभव नहीं है।

विनोद शर्मा Adv. 19/07/18

अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि प्रार्थी / निगरानीकर्ता का यह आवेदन पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को आवश्यक पक्षकार माने जाने एवं स्वमेव निगरानी प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने की कृपा करें।

दिनांक–19 / 07 / 2018

प्रार्थी / निगरानीकर्ता

दिनेश कुमार सिंह.......निगरानीकर्ता

द्वारा–अभिभाषक

विनोद कुमार शर्मा,एडवोकेट

(7) R-4646-/18 शहडोल 2

निर्मला / शासन

24/x/18 — आवेदक की ओर से श्री आदित्य प्रताप सिंह के अनुरोध पर आगामी तिथि दी जाती

— शासकीय अभि. श्री विवेक अग्निहोत्री उप0 शासन पक्ष को निगरानी मेमो की प्रति दी जाये।

24/12/18

24/x

CF - 24/12/18

24-12-18 आवेदक अभि. अनु.। प्रकरण तर्क हेतु।

CF 11-1-19

आ.जा.मे.

Noted 11/1/19

11-1-19 (1) आवेदक अभि. अनुपस्थित। शासकीय अभि. श्री दिलीप सिंह तोमर उपस्थित। पुनः आवेदक अभि. श्री विनोद कुमार शर्मा उपस्थित को सुना गया।

11.1.19

(2) प्रस्तुत निगरानी कलेक्टर शहडोल के आदेश दि. 28/5/10 के विरुद्ध प्रस्तुत की है।

(3) — भू. रा. संहिता 1959 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन के अनुक्रम में उक्त निगरानी सुनने के अधिकार आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल को होने से प्रकरण आयुक्त को अंतरित (Transfer) किया जाता है उभय पक्ष दि. 12/03/19 को आयुक्त के यहां उपस्थित हों।

CF - 12.03-19

11.1.19

Noted 11/1/19